कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़। Phone-0122-2300150 Fax-0122-2300150 E-mall-dfohapur@gmail.com पत्रांक २८७४ / १४–१, दिनांक, हापुड़, ०५, फरवरी, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक⁄केत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

विषयः

यः उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहॉपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः भारत सरकार की पत्र सं0—8 बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/643, दिनांक 17.01.2022 तथा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी की पत्र संख्या— 8689/1832/यूपीडा/20 (वन), दिनांक 31.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी द्वारा निम्नानुसार आख्या प्रेषित की गयी है। उक्त आख्या का समावेश करते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

क्र0	E.D.S.	कार्यवाही की स्थिति
र्स0	L.D.S.	कायवाहा का रिखात
1.	As per Part II area of PF is coming as 30.6453 ha while as per details provided in the proposal it is 30.8224.	
2.	Tree felling is Amroha and Pratapgarh district is mismatching with details of Part- II uploaded and the details provided in proposal.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
3.	An abstract of tree felling in all the districts needs to be provided.	बाधक वृक्षों की सूची एवं सार पूर्व प्रेषित प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
4.	No objection certificate of concerned departments (Irrigation and Railways) needs to be submitted.	सिंचाई विभाग की एन0ओ0सी0 प्राप्त हो गयी है, जिसे पार्ट– 1 के अतिरिक्त अभिलेखों में अपलोड किया जा रहा है।
5.	Revised NPV calculation as per order dated 06-01-2022 needs to be submitted	एन0पी0वी0 की नये दरों के आधार पर गणना कर अपलोड की जा रही है।
6.	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	सड़क के किनारे वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध नही है।
7.	As per part-II of the proposal, under Social forestry Division Allahabad and Social Forestry Division Bulandshahar. It is mentioned at column no.10. "Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project: NIL"	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।

D:\PLANTATION 2020-21\JOSHI JI\PETROL PUMP(ADI).DOC

Page 209

8	CA scheme and site suitable certificate for	उक्त कार्यवाही उन्नाव वन प्रभाग द्वारा की जा रही है।
	CA in DDFL has to be provided.	नन्त गरेण के मैटानी भागों में ज्योंत्वरी का
9	Why RF cannot be avoided, proper	उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में जमींदारी अन्मूलन के पश्च,
	justification needs to be provided.	राजस्व गामा म कुछ माम ग्राम समाज का एव कुछ जुके
		के रूप में आवटित का गया था, जिसे कालान्तर में कर 🦄
		आरक्षित वन के रूप में नोटीफाई किया। इस प्रकार अधिसंख्य यु 🖉
		में यत्र-तत्र छोटे-बडें टुकडों में वन भूमि आ जाती है।
	·	गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में इन्ही ग्रामों में आ रही वन भूमि प्रभावित
		हो रही है, जो कि न्यूनतम एवं अपिहार्य है।
10	As per the .kml File the proposed area for	के०एम०एल० फाईल का मिलान करते हुये प्रभावित वन क्षेत्र यूपीडा
	diversion is 50.29 ha., but as per the	द्वारा सुधार कर लिया गया है।
	proposal diversion area is 121.4716 ha.,	
	mismatching of the forest area, needs	
	clarification/rectification.	
11	Kml file of the complete route proposed	यूपीडा द्वारा अवगत कराया है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के
	for diversion (Forest area as well as Non	संरेखण में जिन 09 प्रभागो की वन भूमि प्रभावित है के वन क्षेत्रों एवं
	Forest area) needs be submitted.	गैर वन क्षेत्रों की KML File परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी
		भे पित का फार्म्स के का आप प्राप्तिन वनी हो उसी है।
		है। जिन वन प्रभागों/जनपदों में वन भूमि प्रभावित नही हो रही है,
	,	वहाँ की केवल गैर वन भूमि (NFL) की KML File को अपलोड करने
		का प्राविधान परिवेश पोर्टल पर नही है। अतः इसकी KML File की
		सी0डी0 उपलब्ध करायी जा रही है।
12	.kml file of alternate routes needs to be	यूपीडा द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवेश पोर्टल पर alternate
	submitted.	routes की KML File को अपलोड करने का प्राविधान नहीं है। अतः
13	The NET suitable error for plantation	उसकी KML File की सी0डी0 उपलब्ध करायी जा रही है।
'5	The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 94.78 ha., which	यूपीडा द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना से प्रभावित
	is less than the actual required CA land	आरक्षित वन के सापेक्ष यूपीडा के द्वारा 94.3289 हे0 NFL वन विभाग
	area.	को उपलब्ध करायी जा रही है, जिसकी GIS-DSS analysis का
		मिलान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 30.8224 हे0 संरक्षित वन
		भूमि के सापेक्ष 62 हे0 DDFL चित्रकूट वन प्रभाग में नोडल अधिकारी,
		उ०प्र० वन विभाग के द्वारा सी०ए० हेतु आवंटित की गयी है। GIS-
		DSS analysis का मिलान APCCF (IT) उ०प्रo के द्वारा अपने पत्र
		संख्या 304 / 12-42-2 (जी0आई०एस०) दिनांक 02.12.2021 से किया
		गया है, जिसके अनुसार सकल क्षेत्रफल 90.1528 हे0 में से 71.14 हे0
		शुद्ध क्षेत्र जिसका घनत्व 0.4 से कम है सी०ए० हेतु उपलब्ध है।
		APCCF (IT) उ०प्रo का पत्र परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 में अपलोड
		किया जा रहा है। इस प्रकार प्रभावित वन क्षेत्र 121.4716 हे0 के
		स्थान पर 156.3289 हे0 शुद्ध सी०ए० भूमि जिसका घनत्व 0.4 से कम
14	As per the Geo referenced man of the	है, उपलब्ध है।
14	As per the Geo-referenced map of the proposed CA land, GPS "point id" is not	यूपीडा द्वारा अवगत कराया गया कि GPS "Point id" के सम्बन्ध में
	mentioned in the Haripur Village and	स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। हरीपुर एवं पुरथियावां ग्रामों के Geo-
	Purthiyawan village. This needs	referenced map में GPS id को अंकित करते हुये पार्ट-1 में
	rectifications.	अपलोड कर दिया गया है।
15	As per the .kml file some CA land	यूपीडा द्वारा अवगत कराया गया कि यूपीडा द्वारा 04 जनपदों के 18
	polygons have been found in scattered	
	forms and also not contiguous to the forest	ग्रामों में उपलब्ध कुल 90.6492 हे0 आरंक्षित वन के स्थान पर मात्र 12
	area. There are 44 patches proposed CA	ग्रामों में 94.3309 हे0 गैर वन भूमि (NFL) वन विभाग को उपलब्ध
	which are of area of area less than 1 ha.	करायी जा रही है। उदाहरण के लिए रायबरेली वन प्रभाग के 04
	Patches need to be in consolidated form.	ग्रामों में स्थित 23.5520 हे0 RF के स्थान पर 1 ही ग्राम में 27.2310
		हे0 NFL उपलब्ध कराया जा रहा है। सम्बन्धित ए०डी०एम० एवं
		डी०एफ०ओ० के द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षा एवं प्रबन्धन की दृष्टि से
		NEL का उपराक्तता प्रमाण पत्र जात्रक करने के जानक के
	· ·	NFL का उपयुक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही उक्त
		गैर वन भूमि (NFL) यूपीडा के द्वारा प्राप्त कर राजस्व अभिलेखों में
		अपने नाम दर्ज करा दी गयी है, जिसकी खतौनियां व अभिलेख
		परिवेश पोर्टल पर भी अपलोड किये गये है।
16	Geo-referenced cadastral map of the	यूपीडा द्वारा अवगत कराया गया कि CA Land का Geo-
	proposed CA land needs to be submitted.	referenced cadastral map उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको

D:\PLANTATION 2020-21\JOSHI JI\PETROL PUMP(ADI).DOC

1

Page 210

k

		कि परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 में अपलोड किया जा रहा है।
17	The proposed CA land patch of Unnao district (Village-Katholi) is partially overlapped with the area proposed for diversion, this needs rectification.	यूपीडा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद– उन्नाव के ग्राम– कैथोली के CA Land की KML File का सुधार कर लिया गया है।
18	Component wise breakup of land required for construction of bridges, underpass, public utility center, toll plaza, Covers over River/ Canals/ Nalas, Pulia, Flyover & Interchanges etc. needs to be provided.	यूपीडा द्वारा अवगत कराया गया कि यह सूचना परिवेश पोर्टल के पार्ट– 1 के अतिरिक्त अभिलेखों में अपलोड कर दी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें। संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय बनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

<u>पत्रांकः २५०५ / १४–१, दिनांकित</u> प्रतिलिपिः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।